किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111-123 नं० 68 सन् 2023

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
5-23	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 25-5-23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर माण्डल	
26/6/23	पत्रावली महंगाई राहत कैम्प एंव प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 कैम्प ग्राम पचायंत मेजा मे पेश हुई, प्रार्थिया की ओर से अधिकार पत्र श्री पवनकुमार शर्मा अधिवक्ता ने पेश किया।। एंव विपक्षी सं. 3 की ओर से अधिकार पत्र श्री नरेन्द्रकुमार अधिवक्ता एंव विपक्षी सं. 1 की ओर से अधिकार पत्र श्री एकलिंग प्रसाद व्यास अधिवक्ता ने पेश किया जिसे शा० प० किया गया। प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने के लिए विपक्षीगण के अधिवक्ता को कोई आपत्ति जाहिर नही की हो। एंव प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। हुक्मीचन्द रोहलानिया उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023	विपक्षी सं. 3 रतनलाल की ओर से No Objection करता है 26/6/23

राजस्थान – सरकार

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 68/23 प्रा०पत्र

श्रीमती शान्ती देवी w/o शंकरलाल तेली निवासी नागोर तहसील माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

श्रीमती मंजु देवी w/o श्री रामेश्वर लाल तेली निवासी नागोर म॰ माण्डल (भीलवाड़ा)
(सहभागिता प्राप्त खातेदार)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक – 21.06.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नागोर पटवार हल्का नागोर 1 तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 7484/2124, 7524/2124 कुल किता 02 रकबा 0.7588 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतनाजिया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान फरमाये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.05.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण के अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम नागोर पटवार हल्का नागोर 1 तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 7484/2124, 7524/2124 कुल किता 02 रकबा 0.7588 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक नागोर को 500/- रुपये/-- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व फर्दो की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023